माननीय न्यायालय सदस्य राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी 1599-II-15

जितेन्द्रसिंह पिता मांगूसिंह राजूपत उम्र 35 वर्ष, धंधा खेती, निवासी – ग्राम जैथल, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का नं. 42 तहसील घट्टिया जिला उज्जैन .... अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 19-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र सेवा में पेश है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदक निगरानीकर्ता ग्राम जैथल का स्थानीय निवासी है। आवेदक के नाम भूमि सर्वे क्रमांक 226 रकबा 0.210 हेक्टेयर जो कि उज्जैन आगर मुख्य मार्ग से लगी हुई होकर आवेदक उस पर काश्तकारी करता है। उक्त भूमि पर आवेदक ने कार्पोरेशन बैंक से भूमि विकास एवं कृषि कार्य करने हेतु लोन भी ले रखा है। इसके अलावा आवेदक की अन्य भूमि भी उक्त भूमि के पास लगी हुई है।

2. यह कि उक्त भूमि ग्राम जैथल से दूर होने के कारण आवेदक ने उक्त भूमि पर कृषि यंत्र पशुओं के लिए घास व फसल की उपज रखने हेतु उक्त सर्वे नम्बर में अस्थायी निर्माण विगत 25 वर्षों से ज्यादा निर्माण कर रखा है, जिसका उपयोग आवेदक किसी न किसी कृषि कार्य के लिए करता रहता है।

निरन्तर 2/

R 1599-III/15

23.7.15 11:30 बजे	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में दिनांक 19.6.15 को आवेदक अभिभावक के तर्क सुनके ग्राह्य किया जाकर तीन माह तक स्थगन प्रदान किया गया था और पेशी दिनांक 23.7.15 नियत की गई थी। आज आवेदक एवं उनके अभिभावक को आवाज लगाई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। पुनः आवाज लगाई जावे। सदस्य
03:30 बजे	आवेदक एवं उनके अभि० को पुनः आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। पुनः 05 बजे आवाज लगाई जावे। सदस्य
05:00 बजे	आवाज लगवाई गई। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पूर्व पेशी पर दिया गया स्थगन निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य

शाक्षेमुगवा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.